

T. No. 15-11520 43541
15/12/15

दिनांक 15/12/2015 ✓ 15369



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 776378

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 32 प्रारूप 4 पृष्ठ 49
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट
62,50,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 5,84,000/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 6,87,000/- रुपये

रामाजीसह



विजय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 776379

6. विक्रित भूमि स्थित ग्राम जुल्हेड़ा परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) कृषि भूमि खसरा नम्बर 14
8. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.1098,1/3 हैक्टेयर
10. नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्र
11. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
12. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
13. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
14. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
15. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं०वि०क०नि०-5-2756/ 11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 34,500/- रुपये।

रुमा/नरेश



Sajal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 776380

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधारी भूमि खाता संख्या 00126 के खसरा नम्बर 14 (चौदह) रकबा 0.8790 है० (शून्य दशमलव आठ सात नो शून्य हैक्टेयर) के अपने समस्त भाग की भूमि 0.1098,1/3 हैक्टेयर (शून्य दशमलव एक शून्य नो आठ सही एक बटा तीन हैक्टेयर) जानिब दक्षिण लगान परतानुसार, स्थित ग्राम जुल्हेड़ा परगना व तहसील सख्खना जिला मेरठ

विक्रित क्षेत्रफल में कोई पेड़ बोरिंग नहीं है।

इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति हैं।

पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।

विक्रेता प्रथम पक्ष दृष्टिविहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।

विक्रित भूमि के 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि संचालित है।

कमाना

8/10/15





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 7766

विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
क्रेता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि रुमालसिंह पुत्र श्री गुद्ध निवासी ग्राम छबड़िया परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष, मोबा0 9012323815

एवं

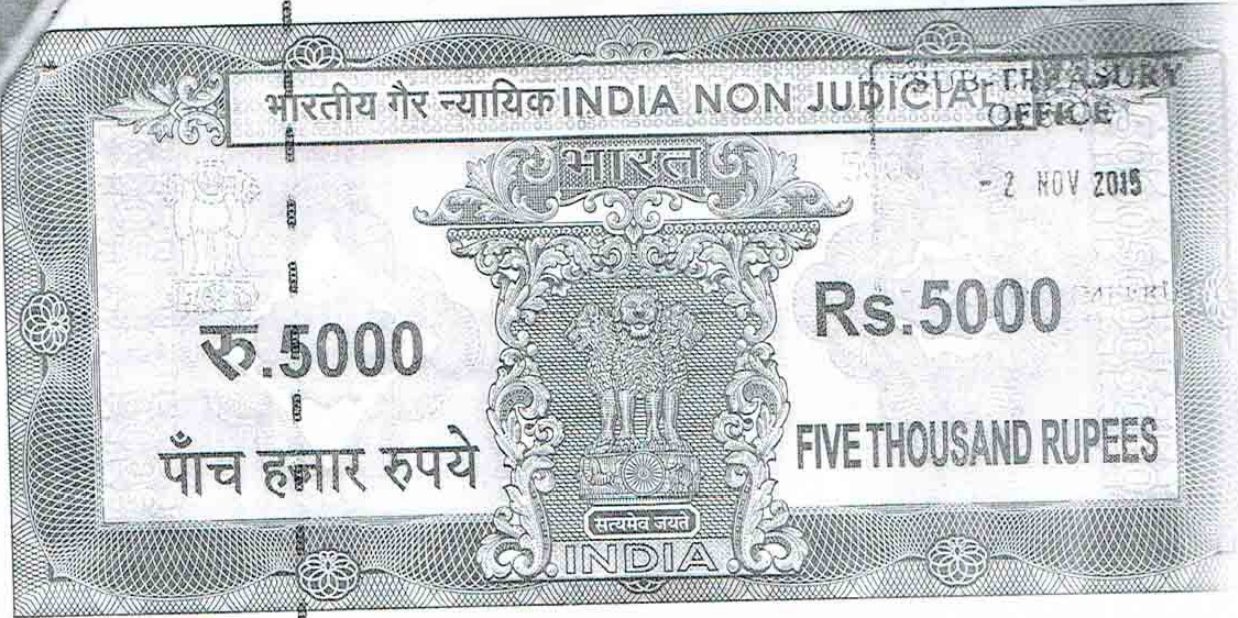
श्री गुरु हर गोविन्द साहब जी मैमोरियल कॉलिज आफ एजुकेशन, (PAN-AAPTS4189K) द्वारा सचिव श्री संजय सिंह पुत्र श्री यशवीर सिंह निवासी 628/8, सुभाषनगर, मेरठ शहर .. क्रेता/द्वितीय पक्ष, मोबा0 7830484950

रुमालसिंह



Sanjay





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 7766131

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के स्वामित्व की है, जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है और प्रथम पक्ष को बहसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के, पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं। प्रथम पक्ष को विक्रित भूमि का मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में, बिना किसी भी दबाव व बहकाव के भूमिधरी विक्रित उक्त को मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बदले अंकन 5,84,000/- पाँच लाख चौरासी हजार रुपये कि आधे जिसके अंकन 2,92,000/- दो लाख बयानवे हजार रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते श्री गुरु हर गोविन्द साहब जी गैमोरियल

रुमानासिंह

Swan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 776

कॉलिज आफ एजुकेशन, द्वारा सचिव श्री संजय सिंह पुत्र श्री यशवीर सिंह निवासी 628/8, सुभाषनगर, मेरठ शहर को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विक्रित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित

सुभाषी सिंह

Singh



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

28 OCT 2015

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 05955

उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहाँ कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। विक्रित भूमि पर आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। प्रतिज्ञा है कि यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा

रजामन्दी है

संजय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 059553

उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद
व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के
लिखे खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष
के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की

रुमान सिंह

राज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 059554

चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे,
जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न
होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो
और उचित समय पर काम आवे।

रामावर सिंह

राज





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 09555

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:

1. अंकन 84,000/- रुपये बैंक संख्या 084170 दिनांकित 4.11.2015 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाईपास रोड, मेरठ
2. अंकन 5,00,000/- रुपये बैंक संख्या 084171 दिनांकित 1.05.2016 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाईपास रोड, मेरठ

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से कुल अंकन 5,84,000/- रुपये प्राप्त किये।

दिनांक: 04.11.2015 (चार नवम्बर सन दो हजार पन्द्रह ई०)
प्राणख नवनीत गर्ग, दस्तावेज लेखक, सरधना जिला मेरठ

समाप्त



स्वयं

ग. पूर्वशुभा डे.
श्री जी सिद्ध मिश्रा
दस्तावेज लेखक
मेरठ

ग. नवनीत गर्ग
सराधना (मेरठ)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कक्षा (Not to be scaled)

X 722345

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
50
20
10
5
2
1

नरपति केता

जैत जेनेट व भोपाल

जैत जेनेट आदि

लगभग 200 मीटर

उत्तर



(नरपति केता)

विक्रय की गयी भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग/चकमार्ग _____
2. बाग/नर्सरी _____
3. आवासीय/वाणिज्यिक भूमि/भवन _____
4. शैक्षिक संस्थान/धर्मार्थ संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र _____
5. गैस गोदान/पेट्रोल पम्प/नलकूप _____
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र _____
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय _____
8. अन्य _____

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता
रामलाल सिंह

हस्ताक्षर केता

जयन्त



26 4/11/15
22
रजिस्ट्रार
उप निबन्धक
सरधना

आज दिनांक 04/11/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 6729
पृष्ठ सं. 267 से 288 पर क्रमांक 15369
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रेम प्रकाश
उप निबन्धक सरधना

4/11/2015